रजिस्ट्री सं. डी. एल.-1-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 555] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 22, 1985/अग्रहायण 1, 1907
No. 555] NEW DELHI, FRIDAY, NOV. 22, 1985/AGRAHAYANA 1, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर 1985

का. आ. 841 (अ).—भारत के असाधारण राजपत्र, तारीख 25 फरवरी, 1984 के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (2) के पृष्ठ 1 पर प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 116 (अ) तारीख 20-2-1984 द्वारा गठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक पद रिक्त हुआ है ।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 8 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार श्री एन. जी. चौधरी को उक्त औद्योगिक अधिकरण, कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं-एल-51016/1/83-आई.एण्ड ई. (एस.एस.)]

अशोक गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, 22nd November, 1985

S.O. 841 (E).—Whereas a vacancy has occurred in the office of the Presiding Officer of the National Industrial Tribunal, Calcutta constituted by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 116(E) dated 20-2-1984 published at page 2 of Part II, Section 3, Sub-Section (ii) of the Gazette of India Extraordinary dated 25-2-1984.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 8 of the Industrial Disputes Act, 1917 (14 of 1917), the Central Government hereby appoints Shri N. G. Chaudhary as the Presiding Officer of the said National Industrial Tribunal, Calcutta.

[No. L-51016/1/83-I&E (SS)]

ASHOK GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985